न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 690 / 2022

आशा देवी .....वादिनी।

बनाम्

रमिता देवी वगै0.....प्रतिवादीगण।

आदेश

07.02.2024 उभय पक्षों की हाजिरी है। अभिलेख आज वादिनी द्वारा दिनांक–12.09.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 पर आदेश हेतु नियत है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादिनी द्वारा यह वाद अपने केवाला में दर्ज प्लाट और भूमि की प्रकृति में सुधार हेतु तथा अपनी खरीदगी भूमि जो अर्जी के जमीमा नं0 2 में दर्ज है, पर अपना हकीयत वो दखल कब्जा के उद्देश्य से दाखिल किया है तथा साथ ही जमीमा नं0 1 एवं 2 में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने का भी अनुतोष मांगा है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वादिनी द्वारा दिनांक– 27.04.2023 को इम्तनाई का आवेदन दाखिल किया गया है जिस पर प्रतिउत्तर और बयान तहरीरी प्रतिवादीगण द्वारा दिया जा चुका है। प्रतिवादीगण मुदई की केवाला वाली एराजी जो अर्जी के जमीमा नं0 2 में दर्ज है, पर जबर्दस्ती टाटी लगा रहे हैं और उसके अन्दर पक्का निर्माण करके विवादित एराजी का प्रकृति बदलने और छिन्न–भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित एराजी की प्रकृति बदलने और बदलने की कोशिश करने की जॉच एवं स्थल निरीक्षण किसी अधिवक्ता आयुक्त से कराकर प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष आना न्यायहित में आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि स्थल निरीक्षण

लगातार
07.02.2024

हेतु किसी अधिवक्ता आयुक्त की बहाली कर उनसे आवेदन के अन्त में दिये गये विचारण बिन्दु पर प्रतिवेदन मंगाने का आदेश दिया जाये। वादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी मौखिक कथन करते हैं कि वादी अधिवक्ता आयुक्त का खर्च भुगतान करने को तैयार है।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 17.01.2024 को दाखिल प्रतिउत्तर में प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वादिनी का आवेदन तथ्य एवं कानून की दृष्टि से विचारणीय नहीं है, बल्कि अस्वीकृत होने योग्य है तथा यह आवेदन वर्तमान वाद के निष्पादन को विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। वादिनी द्वारा पूर्व दिनांक– 27.04.2023 को इम्तनाई आवेदन दाखिल किया गया था तथा उस आवेदन के पारा सं0 3 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि प्रतिवादी अर्जी के जमीमा नं0 1 और 2 में दर्ज विवादित एराजी का प्रकृति बदलने की नियत से और उसमें नया निर्माण करने के लिए बालू, ईंट, गिट्टी , छड़ आदि जमा कर रहे हैं जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक– 08.06.2023 को दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि वादिनी का विक्रय विलेख दिनांक– 12.06.2012 सिर्फ पेपर ट्रान्जेक्शन है तथा प्रतिवादीगण की कीमती एवं बुधवासी मकान हड़पने की नियत से कूटरचित दस्तावेज तैयार किया गया है जिस पर न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी, बक्सर के यहां परिवाद पत्र सं0 721/2021 प्रतिवादिनी द्वारा वादिनी एवं उनके पति वगै0 के खिलाफ दाखिल किया गया है जिससे बचने के लिए प्रतिवादीगण पर अकारण दबाव बनाने के लिए वादिनी द्वारा यह वाद दाखिल किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि खाता सं0 209, खेसरा सं9 298 में केवाला

लगातार
07.02.2024

लिखने की कभी कोई बातचीत वादिनी के साथ नहीं हुआ है बल्कि प्रतिवादीगण की अपनी परती भूमि जो बुधवासी मकान के सटे दक्षिण में है जिसका विवरण लिखित कथन के जमीमा नं0 1 में दिये गये नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि खाता सं0 209, खेसरा सं0 998, रकबा 3.75 डी0 जमीन लिखने की बात हुई थी उसके एवज में वादिनी को दो लाख पचीस हजार रूपया अदाय करना था जिसे लौटाकर प्रतिवादीगण अपना जमीन वापस कर लेती, परन्तु वादिनी के पति द्वारा प्रतिवादिनीगण की बुधवास मकान के निश्वत ही अपने मेली व सरोकारी कातिव के मदद से केवाला का दस्तावेज तैयार करा लिया जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादिनी द्वारा सबूत इकट्ठा करने के उद्देश्य से अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति का आवेदन दाखिल किया गया है तथा अनुरोध करते हैं कि वादिनी का आवेदन दिनांक– 12.09.2023 को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण को यह निर्देश देने हेतु मांग किया है कि अर्जी के जमीमा नं0 1 में दर्ज केवाला में सुधार कर गलत प्लाट सं0 298 की जगह सही प्लाट सं0 998 दर्ज करे तथा केवाला वाली भूमि के ब्योरा में जानीव उत्तर स्थित को शेड को भी दर्ज करे और प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा नहीं करने पर न्यायालय अपने स्तर से केवाला में उपरोक्त सुधार करवा देंगे। वादिनी ने यह भी घोषित करने हेतु मांग किया है कि अर्जी के जमीमा नं0 2 की एराजी वादिनी की हकीयत व कब्जा दखल वाली खरीदगी भूमि है जिससे

<u>लगातार</u>
07.02.2024
प्रतिवादीगण को कोई सरोकार नहीं है। वादिनी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा की भी मांग किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि वादिनी के द्वारा दाखिल अधिवक्ता आयुक्त की बहाली का आवेदन साक्ष्य को एकत्रित करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है। न्यायहित में वादिनी द्वारा दाखिल उक्त आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः वादिनी द्वारा दिनांक– 12.09.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

दिनांक– 28.02.2024 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

ह0/–

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।